



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 149-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 12, 2020 (ASVINA 20, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

संख्या 84/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 03/एसटी-2, दिनांक 09 जनवरी, 2018 में, द्वितीय परन्तुक में,—

- (i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "ः" प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में नियत तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, किन्तु उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन की अवधि के बीच प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस, जो दो सौ पचास रुपये से अधिक है, अधित्यजित हो जाएगी और जहां उक्त विवरणी में भुगतानयोग्य राज्य कर की कुल राशि शून्य है, पूर्णतया अधित्यजित हो जाएगी।"

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 12th October, 2020

No. 84/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), read with section 148 of the said Act, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, namely :—

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 03/ST-2, dated the 9th January, 2018, in the second proviso,—

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of State tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March, 2019 by the due date but furnishes the said return between the period from the 22nd day of September, 2020 to the 31st day of October, 2020.”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.